

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3023

गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

छत्तीसगढ़ में विमानपत्तनों की स्थिति

3023. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा और अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ में सभी आठ प्रमुख विमानपत्तनों/हवाईपट्टियों की वर्तमान परिचालन स्थिति (घरेलू/कस्टम/अंतर्राष्ट्रीय) विमानपत्तन-वार क्या है और आज की तिथि के अनुसार, उक्त राज्य से आवागमन हेतु प्रचालनरत विमान मार्गों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा देने और वहां से प्रस्तावित कार्गो केंद्र, सीमा शुल्क सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन आरम्भ करने के लिए निर्धारित अनुमानित समय सीमा क्या है;

(ग) बिलासपुर और जगदलपुर विमानपत्तनों को 'उड़ान' योजना में शामिल करने संबंधी स्थिति क्या है और आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता बहाल करने और अंबिकापुर से वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु क्या योजना है;

(घ) छत्तीसगढ़ में एमआरओ सुविधा स्थापित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सर्वाधिक ग्राहक/उद्योग अनुकूल 'उड़ान' नीति वाले राज्य कौन-से हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु प्रस्ताव, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क): छत्तीसगढ़ राज्य में, चार हवाईअड्डों को अनुसूचित प्रचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है। रायपुर हवाईअड्डा, 14 घरेलू गंतव्यों के लिए प्रति सप्ताह लगभग 380 उड़ानों की आवाजाही के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रचालनरत घरेलू हवाईअड्डा है। इसके अलावा, आरसीएस-उड़ान योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर हवाईअड्डों को प्रचालनरत किया गया है जिसके अंतर्गत जगदलपुर हवाईअड्डा, जगदलपुर-हैदराबाद और जगदलपुर-रायपुर मार्गों से जबकि बिलासपुर हवाईअड्डा, बिलासपुर-जबलपुर मार्ग से जुड़ा हुआ है। एयरलाइनों के आंतरिक मुद्दों के कारण अंबिकापुर में वर्तमान उड़ान परिचालन बंद हैं।

(ख): किसी भी हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित करना, हवाईअड्डे की यातायात क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन हेतु राज्य सरकार या एयरलाइनों की मांग और द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं जैसे ग्राउंड लाइटिंग सुविधाएं, इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम, रनवे लंबाई, आप्रवासन, स्वास्थ्य और पशु एवं पादप संगरोध सेवाओं आदि पर भी विचार किया जाता है। रायपुर हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार,

नागर विमानन मंत्रालय और एएआईसीएलएएस के बीच 16.06.2025 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) : उड़ान एक बाजार संचालित सतत योजना है जिसमें अधिक गंतव्यों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं और इच्छुक एयरलाइनें कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं, जिनको योजना प्रावधानों के अनुसार अवार्ड किया जाता है।

(घ) : सरकार, स्वयं किसी सुविधा-केंद्र की स्थापना न करके विभिन्न नीति, विनियामक और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत में विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है।

भारत सरकार ने देश में स्वदेशी विनिर्माण और एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जैसे कि जीएसटी दर युक्तिकरण, रॉयल्टी को समाप्त करना, एमआरओ सेवाओं में लगे विदेशी पायलट और चालक दल के लिए वीजा मैनुअल में संशोधन, मरम्मत के लिए आयातित माल और वारंटी के तहत मरम्मत हेतु माल के पुनः आयात के लिए निर्यात अवधि की प्रासंगिक समयसीमा में विस्तार।

(ङ) : अपने राज्यों में कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग वीजीएफ सहायता मॉडल विकसित किया है।
